



दि 19.8.14 को
 श्री 61/अ-6/12-13
 लमल उ प्रस्तुत

माननीय राजस्व, मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-2676-PRR114

कमलसिंह पिता सूरजासिंह
 निवासी ग्राम बिचोली मर्दाना,
 तहसील एवं जिला इन्दौर म.प्र.

--- प्रार्थी / प्रत्यार्थी

विरुद्ध

- (1) सुदामा पिता रामप्रसाद जी
 - (2) नंदकिशोर पिता रामचरण जी
 - (3) बालकिशान पिता रामचरण जी
- सभी निवासी ग्राम मुसाखेडी तहसील एवं
 जिला इन्दौर (म.प्र.)
- (4) भागीरथ पिता रतनसिंह
 निवासी 121 न्यू मारुति नगर, बाणगंगा, इन्दौर म.प्र.

--- प्रतिप्रार्थीगण / आवेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. 1959 के तहत ।

19/8/14 महोदय,

प्रार्थी का निवेदन है कि :-

(1) यह कि, यह निगरानी माननीय तहसीलदार महोदय इन्दौर जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 93/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 27/06/2014 से

असंतुष्ट एवं दुखी होकर प्रार्थी यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष नियत समयवधि में योग्य मुद्रा पर प्रस्तुत करते हैं ।

व
 21-8-14

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2676-पीबीआर/2014

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

15-07-15

आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित एवं अनावेदक क्रमांक 1 से 3 की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता उपस्थित तथा अनावेदक क्रमांक 4 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाया जाकर नॉटप्रेस में समाप्त करने का निवेदन किया गया । निवेदन स्वीकार । आवेदक के निवेदन पर प्रकरण नॉटप्रेस में समाप्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।


अध्यक्ष